SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 13.08.2022

10 वर्ष पुराने दीवानी प्रकरण का राजीनामे से हुआ निस्तारण

न्यायालय एडीजे, मालपुरा, टोंक के दीवानी प्रकरण के निर्णय दिनांक 06.01.2018 के तहत वादी प्रतिवादीगण से रूपये 96,107/– तथा उक्त रकम पर वादी प्रतिवादीगण से दावा दायरी की तिथि से तावसूली तक 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी था, जिसकी उक्त इजराय न्यायालय में दिनांक 29.01.2018 को पेश की गई।

उक्त पत्रावली को लोक अदालत हेतु प्री–काउंसलिंग हेतु रखा गया व पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। पक्षकारान के उपस्थित आने पर प्री–काउंसलिंग कराई गई। दोनों पक्षों को की गई समझाईश सफल रही। डिक्रीदार व अप्रार्थीगण के मध्य डिक्री की राशि के पेटे 26000/– रूपये में राजीनामा हो गया। इस प्रकार प्रकरण को लोक अदालत की भावना से आपसी समझाईश से निस्तारित किया गया।

पारिवारिक विवाद में समझाईश से साथ रहने को राजी हुए दम्पत्ति

पारिवारिक मतभेदों के प्रकरण में प्रार्थी पति द्वारा धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन अप्रार्थी पत्नी के विरूद्ध विवाह विच्छेद हेतु दायर किया था। जिसमें पक्षकारों का विवाह वर्ष 2003 में हुआ था। विवाह सम्बंधों से उनके दो संतानें हैं। पारिवारिक मतभेदों की वजह से वे वर्ष 2008 से पृथक–पृथक रह रहे थे। दोनों पक्षों के उपस्थित आने पर न्यायालय में विभिन्न चरणों में हुई काउंसलिंग व समझाईश व अभिभाषकगण के विशेष प्रयासों से पक्षकारों में राजीनामा करवाया गया जिसके परिणामस्वरूप पक्षकारों ने साथ–साथ रह कर अपना दाम्पत्य जीवन पुनः शुरू करने के लिए रजामंदी दी।

न्यायालय – अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, सिकराय, दौसा

प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थिया का विवाह वर्ष 2008 में हुआ था। उनके 03 सन्तानें हैं। किसी घरेलु बात को लेकर अप्रेल 2018 में अप्रार्थिया अपने पीहर चली गई और वापस

ससुराल नहीं आई। इसके बाद वर्ष 2012 में प्रार्थी ने न्यायालय में वाद दायर किया। दिनांक 13.08.2022 को आयाजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों के उपस्थित आने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा समझाईश की गई। जिससे अप्रार्थिया लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर एक साथ रहने के लिए न्यायालय में राजीनामा कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई एवं खुशी–खुशी एक साथ घर चले गये। इस प्रकार एक परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया।

जमीनी विवाद का राजीनामे से किया निस्तारण

प्रकरण में दो सगे भाइयों ने वर्ष 2009 में अपनी रिहायशी जायदाद की बाबत् वाद पत्र न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) बहरोड में पेश किया। जिसमें काउंटर क्लेम भी पेश हुआ जिसका निर्णय दिनांक 01.05.2014 को हुआ। जिसमें वाद पत्र व काउंटर क्लेम न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। जिसके खिलाफ अपील न्यायालय, अपर जिला सेशन न्यायाधीश सं.–2 बहरोड में चल रही थी उक्त अपील चलते रहने के दौरान कई बार लोक अदालत की भावना से दोनों भाइयों को आपस में समझाया गया। दिनांक 13.08.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय एम.एम. श्रीवास्तव जी द्वारा दोनों भाइयों को आपस में समझाया गया। जिससे प्रभावित होकर दोनों भाईयों ने आपस में राजीनामा कर लिया व लम्बे समय से एक–दूसरे के प्रति चल रहे प्रकरण को समाप्त कर एक–दूसरे को माला पहनाकर आपस में गले मिलकर श्रीमान् न्यायाधिपति महोदय का आभार व्यक्त किया। इस प्रकार लोक अदालत में राजीनामे की भावना से दोनों भाइयों और उनके परिवार में चली आ रही दुश्मनी खत्म हुई। इस प्रकार निस्तारित प्रकरण में किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं हुई तथा पूरे परिवार में सौहार्द का माहौल बन गया।

****

"Help the Needy – Timely Help May Create History"